भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2427

दिनांक 11 मार्च, 2016 को उत्तर के लिए

बाल सुधार गृह

2427. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः

श्री जय प्रकाश नारायण यादवः

श्री सी.एस. पुट्टा राजूः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा खोले गए बाल सुधार गृहों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन बाल सुधार गृहों में चलाई गई विकास संबंधी योजनाओं का राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार बच्चों के उत्पीड़न, यौन शोषण की घटनाओं और इन बाल सुधार गृहों/करेक्शनल होम्स से किशोरों के भागने की बढ़ती घटनाओं की रिपोर्टों से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन बाल सुधार गृहों के ठीक से कार्यकरण के संबंध में परामर्श जारी किया है और देशभर के बाल सुधार गृहों में कैदियों की जीवन स्थिति की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) लागू कर रहा है जिसके तहत प्रेक्षण गृहों और विशेष गृहों सहित विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों को स्वयं द्वारा या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से गठित करने और बनाए रखने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । (सीसीआईएस) प्रेक्षण गृहों और विशेष गृहों या सहित । पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आईसीपीएस के तहत वित्त पोषित प्रेक्षण गृहों और विशेष गृहों की संख्या **अनुलग्नक- I** में दी गई है । इन सीसीआई में व्यावसायिक प्रशिक्षण , परामर्श, गैर औपचारिक शिक्षा आदि सहित विभिन्न पुनर्वास और पुन: एकीकरण के उपाय प्रदान किए जाते हैं।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2015-16 के दौरान देश भर में प्रेक्षण गृह और विशेष गृह सहित बाल दुर्व्यवहार / यौन शोषण / यातना / दुर्व्यवहार / लापता होने / बच्चों को भगाने / आवासीय सुविधाओं और बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआईएस) में की गई अन्य अनियमितताओं के विषय में 77 शिकायते / मामले दर्ज किए गए हैं । राज्य / संघ राज्य -वार ब्यौरा **अनुलग्नक** - II में दिया गया है ।

(घ) और (ङ): कानून से संघर्ष में बच्चों के लिए गृहों सहित बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआईएस) के प्रभावी कार्यकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बंधित राज्य सरकारों / संघ शासित प्रशासनों पर है। भारत सरकार ने हाल ही में किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त करते हुए किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) अधिनियमित किया है जो 15 जनवरी, 2016 से प्रभाव में आया । मंत्रालय राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को समय -समय पर जेजे एक्ट के संगत प्रावधानों के तहत सभी दर्ज सीसीआईएस की पहचान करने और सीसीआईएस में बच्चों की बेहतर देखरेख और दुरुपयोग और उपेक्षा के किसी भी प्रकार के अधीन नहीं होना सुनिश्चित करने के लिए कार्यात्मक निरीक्षण और अन्य समितियों की स्थापना करने के लिए अनुरोध करती आ रही है ।

*****

अनुलग्नक-I

'बाल सुधार गृह' श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, श्री जय प्रकाश नारायण यादव और श्री सी.एस. पुट्टा राजू द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2427 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईसीपीएस के तहत वित्त पोषित प्रेक्षण गृहों और विशेष गृहों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रेक्षण गृह				विशेष गृह				प्रेक्षण गृह सह विशेष गृह			
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	आंध्र प्रदेश	9	9	6	6	3	3	2	2	3	3	2	2
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
3	असम	4	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	10	10	10	10	1	1	1	1	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	8	8	12	12	2	2	7	7	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-
7	गुजरात	3	3	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3
8	हरयाणा	4	4	4	4	1	1	1	1	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू-कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	झारखंड	11	11	12	12	1	1	1	1	-	-	-	-
12	कर्नाटक	11	11	16	16	1	1	1	1	-	-	-	-
13	केरल	14	11	14	14	2	1	2	2	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	18	18	18	18	3	3	3	3	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	81	78	55	55	1	1	-	-	2	2	1	1
16	मणिपुर	1	1	4	4	-	-	-	-	1	1	1	1
17	मेघालय	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मिजोरम	2	2	3	3	2	2	2	2	-	-	-	-
19	नगालैंड	7	10	10	10	2	2	2	2	-	-	-	-
20	उड़ीसा	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
21	पंजाब	4	4	4	4	2	2	2	2	-	-	-	-

22	राजस्थान	34	34	34	34	-	1	1	1	-	-	-	-
23	सिक्किम	1	1	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	11	11	11	11	4	4	4	4	-	-	-	-
25	तेलंगाना	-	-	3	3	-	-	2	2	-	-	-	-
26	त्रिपुरा	2	2	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
27	उत्तर प्रदेश	24	24	28	28	2	2	2	2	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	-	7	7	7	-	2	2	2	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	7	7	7	7	4	4	4	4	-	5	5	5
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
32	दादरा एवं नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	दिल्ली	5	5	5	5	1	1	1	1	-	-	-	-
35	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	पुडुचेरी	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3
	कुल	**277**	**283**	**286**	**286**	**42**	**44**	**53**	**53**	**14**	**19**	**17**	**17**

अनुलग्नक-II

'बाल सुधार गृह' श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, श्री जय प्रकाश नारायण यादव और श्री सी.एस. पुट्टा राजू द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2427 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित विवरण

बाल दुर्व्यवहार / यौन शोषण / यातना / दुर्व्यवहार / लापता होने / बच्चों को भगाने / आवासीय सुविधाओं और प्रेक्षण गृह और विशेष गृह सहित बाल देखरेख संस्थानों(सीसीआईएस) में अन्य की गई अनियमितताओं विषय में शिकायतों / मामलों के संबंध में एनसीपीसीआर द्वारा दर्ज मामलों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र -वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	अंडमान और निकोबार है	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	1	1	-	2
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-
4	असम	-	-	-	-	-
5	बिहार	-	-	-	1	1
6	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-
7	चंडीगढ़	-	-	-	-	-
8	दमन और दीव	-	-	-	-	-
9	दिल्ली	3	-	3	1	7
10	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-
11	गोवा	-	-	-	-	-
12	गुजरात	1	-	-	-	1
13	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-
14	हरयाणा	5	1	1	3	10
15	झारखंड	1	-	-	-	1
16	जम्मू-कश्मीर	-	-	-	-	-
17	कर्नाटक	3	-	1	-	4
18	केरल	-	-	-	-	-
19	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
20	महाराष्ट्र	2	-	2	-	4
21	मेघालय	1	-	-	-	1
22	मणिपुर	-	1	-	1	2
23	मध्य प्रदेश	3	-	1	2	6
24	मिजोरम	-	-	-	-	-
25	नगालैंड	-	-	-	-	-
26	ओडिशा	-	2	1	-	3
27	पंजाब	2	-	-	1	3
28	पुडुचेरी	-	-	-	-	-
29	राजस्थान	-	1	-	-	1
30	सिक्किम	-	-	-	-	-
31	तमिलनाडु	6	-	1	1	8
32	तेलंगाना	-	-	-	-	-
33	त्रिपुरा	-	-	-	-	-
34	उत्तराखंड	-	-	-	-	-
35	उत्तर प्रदेश	6	2	5	8	21
36	पश्चिम बंगाल	-	-	-	2	2
	कुल	**33**	**8**	**16**	**20**	**77**